

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक प. 25(40)/एम.ई./गुप-1/2013

जयपुर, दिनांक: 22 JAN 2014

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.11.2013 जिसके द्वारा राज्य के प्राइवेट फार्मसी कॉलेजों के द्वारा संचालित कोर्सों के लिए वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए फीस निर्धारित की गई है, के बिन्दू संख्या 4 के द्वारा निम्न निर्देश दिए गए थे:-

'The fee determined for the year 2011-12 and 2012-13 is annual fees which is to be bifurcated semester wise and shall be charged accordingly. Excess fee charged by any of the institution over the prescribed fees as above from the students during 2011-12 and 2012-13 shall be returned to the students by Demand Draft within 30 days from the date of this order.'

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका संख्या 11757/2013 फार्मसी कॉलेज वेलफेयर सोसायटी बनाम राज्य व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21.08.2013 के द्वारा निम्न आदेश दिए गए हैं:-

'In the meantime, respondents are restrained from taking any coercive action against the petitioners, pursuant to the notices issued to petitioner.'

इसी प्रकार के आदेश रिट याचिका संख्या 5814/2013 एवं रिट याचिका संख्या 5737/2013 में दिए गए हैं।

अतः इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.11.2013 के बिन्दू संख्या 4 के ऐसे निर्देश जो कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के प्रतिकूलन में हैं, का क्रियान्वयन अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

आज्ञा से,




(मनीष चौहान)

शासन विशिष्ट सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, तकनीकी शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च/तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित शिक्षण संस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।



(कैलाश चन्द्र राव)

शासन उप सचिव

९


02/10/14